अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 13/2015

(भेल्दी थाना कांड संख्या 79/2015 से संबंधित)

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर,छपरा।)

बनाम

विजय सिंह एवं अन्य

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.06.2015	अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा के पत्रांक 855 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किए गए कागजातों (प्राथमिकी हेतु आवेदन, जप्ती सूची, एवं जिम्मेनामा) का परिसीलन किया गया। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह विदित होना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परसा के पत्रांक 89, दिनांक 08.06.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 23.06.2015 को संध्या 6:00 बजे गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गंगोई के विजय सिंह, पिता सकलदेव सिंह एवं फटकन राय, पिता स्व0 असर्फी राय के यहाँ कालाबाजारी के उद्देश्य से से एस0एफ0सी0 का खाद्यान्न रखा हुआ है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष, भेल्दी के साथ संयुक्त रूप से ग्राम गंगोई में श्री विजय सिह पिता श्री सकलदेव सिंह के यहाँ 6:30 बजे शाम में छापामारी की गयी, जिसमें 8(आठ) बोरा गेहूँ तथा 13 बोरा चावल (भारतीय खाद्य निगम मोहरित बोरा) बरामद किया गया, तथा 6:50 बजे शाम में श्री फटकन राय पिता स्व0 असर्फी राय, ग्राम गंगोई के यहाँ छापामारी के दौरान 8(आठ) बोरा गेहूँ तथा 12(बारह) बोरा चावल बरामद किया गया। इन दोनों व्यक्ति से पूछ–ताछ करने के क्रम में बतलाया गया कि यह खाद्यान्न चन्देश्वर दास जन0वि0प्र0वि, ग्राम–पंचायत–चॉदपुरा का है। इस संबंध में विक्रेता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार दोनो के यहाँ कुल 16(सोलह) बोरा गेहूँ तथा 25 (पच्चीस) बोरा चावल (प्रति बोरा 50 किलो0) जप्त किया गया।	

उक्त जप्त खाद्यान्न कालाबाजारी के उद्देश्य से रखने के आरोप में चन्देश्वर राय ज0वि0प्र0वि, विजय सिंह एवं फटकन राय, के विरुद्ध भेल्दी थाना में 7EC के तहत् प्राथमिकी संख्या 79/2015 दर्ज करायी गयी है।

जप्त सामाग्री की जप्ती सूची तैयार कर उसे श्री रामरूप राय जन वितरण प्रणाली विक्रेता,ग्राम+पंचायत-चांदपुरा, प्रखंड-परसा अनुज्ञप्ति संख्या 15/2007 को जिम्मेनामा पर सुपुर्द किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा भेल्दी थाना कांड संख्या 79/2015 में जप्त सामग्री के अधिग्रहण का प्रस्ताव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत् प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। भेल्दी थाना कांड संख्या 79/2015 में नामजद अभियुक्तों से स्पष्टीकरण पूछा जाए कि छापामारी के क्रम में जप्त सामग्री के अधिग्रहण की कार्रवाई क्यों न की जाए।

चूंकि जप्त खाद्यान्न नष्ट होने वाला पदार्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए-2) के अन्तर्गत उचित दर पर विक्री हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को प्राधिकृत किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को आदेश दिया जाता है कि **यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो** तो वे जप्त सामग्री को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा विक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2015 तक भेजना सुनिश्चित करेगें।

थानाध्यक्ष भेल्दी को निर्देश है कि भेल्दी थाना कांड संख्या 79/15 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन(अभियुक्त की गिरफ्तारी, आरोप पत्र दाखिल करना आदि) आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7EC सारण, छपरा से अनुरोध है कि वे उक्त थाना कांड से संबंधित वाद के माननीय न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् उसकी प्रगति के संबंध में पाक्षिक प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करेंगे ताकि समय-समय पर तदनुसार यथोचित आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकें।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा के माध्यम से सभी संबंधित को इस आदेश का तामिला कराया जाए।

अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को निदेश है कि **चूंकि नामजद** व्यक्तियों में एक व्यक्ति जन वितरण प्रणाली **विक्रेता है इसलिए** उनके

विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन **एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

अभिलेख 16.07.2015 को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 416 /न्या0,दिनांक 23/6/15

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि (1) संलग्न नोटिस एवं पत्रों का तामिला संबंधित को कराकर एक सप्ताह के अंदर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए। **(2) आपके द्वारा प्रेषित पत्र के विषय में परसा थाना अंकित किया गया है, जबकि पत्र में भेल्दी थाना अंकित किया गया है। कृपया इस बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।**

प्रतिलिपिः-विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7 ई0सी0,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष, भेल्दी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी , एन 0 आई 0 सी0 सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।